स्कूल शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/09/2020

कमांक एफ 23–08/2020/20–3/27 :: राज्य शासन एतद् द्वारा **शासकीय हाईस्कूल,** पंप हाउस, **कोरबा** का प्रबंधन **शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पंपहाउस, कोरबा** संचालन प्रबंधन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति **शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पंपहाउस, कोरबा** संचालन प्रबंधन समिति को निम्नलिखित पदो के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:–

कं.	पद का नाम	पदों की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन
1.	प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम)	1	–	प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
2.	व्याख्याता हिंदी	1	38100	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
3.	व्याख्याता अंग्रेजी	1	38100	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
4.	व्याख्याता संस्कृत	1	38100	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
5.	व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
6.	व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
7.	व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
8.	व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
9.	व्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
10.	प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम)	1	35400	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
11.	प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम)	1	38100	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
12.	सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	5	25300	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
13.	शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम)	4	35400	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
14.	व्यायाम शिक्षक	1	35400	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
15.	ग्रंथपाल	1	22400	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
16.	शिक्षक कम्प्यूटर	1	35400	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
17.	प्रयोगशाला सहायक	3	25300	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन

Scanned by CamScanner

18.	सहायक ग्रेड–2	1	25300	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
19.	सहा.ग्रेड–3	1	19500	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
20.	भृत्य	4	15600	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
21.	चौकीदार	1	15600	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन
22.	अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे)	2	कलेक्टर दर–संबंधित जिले के अनुसार	

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नही की जाएगी । अन्य पदो को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नही होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23–08/2020/20–3/27 रायपुर, दिनांक 03 /07/2020
प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन,
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर,
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. **शासकीय हाईस्कूल, पंप हाउस, कोरबा** एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति **शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पंपहाउस, कोरबा** संचालन प्रबंधन समिति

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर

क्रमांक एफ 23–08 / 2020 / 20–3 नवा रायपुर,अटल नगर दिनांक. 30 / 09 / 2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर
(छ0ग0)

विषय:– उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की योजना का नामकरण ।

—00—

राज्य शासन के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की योजना का नामकरण स्वामी आत्मानंदजी के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है। जहां कहीं इस योजना के लिये चयनित स्कूल का नामकरण पूर्व में नही किया गया है वहां स्कूल का नाम स्वामी आत्मानंद शासकीय इंगलिश स्कूल रखा जाय। जहां कहीं स्कूल का नामकरण पूर्व में किया जा चुका है वहां स्कूल का नाम स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत (विद्यालय का पूर्व में नामकरण किया गया नाम) शासकीय इंगलिश स्कूल रखा जाय।

कृपया इसके अनुसार सभी विद्यालयों के मेन गेट एवं अन्य स्थानों पर विद्यालय का नाम लिखवाकर सूचित करने का कष्ट करें ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 23–08 / 2020 / 20–3 नवा रायपुर,अटल नगर दिनांक,30 / 09 / 2020

प्रतिलिपि:–

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर
2. निज सहायक, मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति अनु.जाति विकास विभाग,
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर
4. संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. शंकर नगर रायपुर
5. प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा शंकर नगर रायपुर
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा, छत्तीसगढ़
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

Scanned by CamScanner